

फर्द अहकाम

सोपनमल बनाम दुबलीधर वर्मा

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

५७/२०

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२३/१/२०	<p>पैश्री नो इति आवरण रूप दिखल करके अग्रिम साक्ष्य स्विकारी वेद घेणलिये</p> <p>(५)</p> <p>पतावली पैश डी कोइ पक्ष/पक्ष ० कजिवन्ता उप० नही हू अतः पतावली ०-७, R-३ के C.P.C. के उपधाना के तहत अफम पैश्री, अफम हाजिरी के खरिज फरमायी जागी ह। पतावली फलत शुरुआत होकर दफतर दिखिलये दर्ज नमक ठी भग हो</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> किशनगढ रेनवाल</p>	